# समाहरणालय मुजफ्फरपुर।

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

*****

## प्रारंभिक अधिसूचना

## ( अधिनियम–30/2013 की धारा– 11(1) के अधीन)

संख्या /भू–अर्जन दिनांक–

चूंकि समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर –सह–समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–भलुई रसूल, थाना–साहेबगंज, थाना नं०–30, अंचल–साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर में कुल– 2.19 (दो एकड़ उनीस डिसमिल) यानि 0.8862 हे० भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना–हाजीपुर– सुगौली नई रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित है, इस परियोजना के उक्त मौजा में पूर्व में 9.55 एकड भूमि अर्जित की जा चुकी है। मात्र निम्नांकित 09 खेसरों का अर्जन किया जाना छूट गया था, इसलिए इस में सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन (SIA) की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। इस भू–अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–भलुई रसूल, थाना–साहेबगंज, थाना नं०–30, अंचल – साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर में उपर्युक्त परियोजना के लिए कमोवेश 2.19 (दो एकड़ उनीस डिसमिल) यानि 0.8862 हे० मानक माप का भू–खंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, का अर्जन किया जाता है:–

| क्र० | खाता संख्या | सर्वे भूखंड संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में) | हित्बद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता | सीमा (भू–खंड संख्या) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | उ० | द० | पू० | प० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11 | 1568 | रैयती | भीठ | 0.26 | भाग्यनारायण सिंह, श्याम नारायण सिंह, राम निहोरा सिंह, फुलदेव सिंह, पुण्यदेव सिंह पिता–कपिलदेव सिंह | सीमान | 1569 | 1577 | 1564 |
| 2 | 86 | 1573 | रैयती | भीठ | 0.05 | हरिश्चन्द्र सिंह पिता–स्व० रामजीवन सिंह | 1574 | 1592 | 1590 | 1570 |
| 3 | 91क | 1575 | रैयती | भीठ | 0.11 | गोपाल सिंह वो चन्द्र देव सिंह पिता–रामधारी सिंह वो नवल किशोर सिंह वो लालबाबु सिंह वो विनोद सिंह पिता–परशुराम सिंह | 1576 | 1573 | 1590 | 1574 |
| 4 | 109 | 1577 | रैयती | भीठ | 0.50 | रामबली सहनी वो बलराम सहनी पिता–महेन्द्र सहनी | सीमान | 1576 | 1582 | 168 |
| 5 | 86 | 1590 | रैयती | भीठ | 0.225 | रामजीवन सिंह पिता–राम कुमार सिंह | 1563 | 1591 | 1586 | 1582 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 86 | 1591 | रैयती | भीठ | 0.11 | रामजीवन सिंह<br>पिता–राम कुमार सिंह | 159 | 1592 | सीमान | 1590 |
| 7 | 97 | 1592 | रैयती | भीठ | 0.45 | उपेन्द्र सिंह<br>पिता–दिनेश्वर सिंह वो<br>ललन सिंह<br>पिता–बालेश्वर सिंह वो<br>विरेन्द्र सिंह<br>पिता–शिवजी सिंह | 1591 | सीमान | सीमान | 1572 |
| 8 | 86 | 1576 | रैयती | भीठ | 0.45 | प्रहलाद सहनी<br>पिता–महेन्द्र सहनी | 1577 | 1574 | 1588 | 1569 |
| 9 | 73क | 1574 | रैयती | भीठ | 0.035 | रामचन्द्र भक्त पिता–राम राज्य भक्त वो रामदयाल भक्त पिता–रामजप्पी भक्त | 1576 | 1573 | 1575 | 1569 |
| | | | | **कुल रकवा** | **2.19** | | | | | |
| **(दो एकड़ उनीस डीसमिल)** | | | | | | | | | | |

यह अधिसूचना भू–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम,2013 (अधिनियम संख्या 30/2013),की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार ,मुजफ्फरपुर उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए,अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नंही करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हित्बद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

**समाहर्त्ता–सह–समूचित सरकार**
**मुजफ्फरपुर।**

ज्ञापांक 486 / भू–अर्जन दिनांक 9/3/2020

प्रतिलिपिः– आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी०डी० के साथ दो दैनिक सामाचार पत्रों जिनमें एक स्थानीय भाषा (हिन्दी) में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को यथाशीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक भू–अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त / अपर समाहर्त्ता,मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी,पश्चिमी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,पश्चिमी,मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अधिसूचना की प्रति को सूचना पट्ट एवं सार्वजनिक स्थान पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु चिपका दें।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी,साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अधिसूचना की प्रति को सूचना पट्ट एवं सार्वजनिक स्थान पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु चिपका दें तथा अपने स्तर से इसकी सूचना संबंद्ध ग्रामवासियों को दे दें।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट प्रशाखा,मुजफ्फरपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पाँच–पाँच प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को यथाशीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप मुख्य अभियंता, निर्माण–II,पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुखिया मौजा–भलूई रसूल थाना नं०– 30, अंचल–साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अधिसूचना को जिला बेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यशक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2020

समाहर्त्ता–सह–समूचित सरकार
मुजफ्फरपुर।